75

/

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण कमांक- I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/सन् 2018
1579

रामस्वरूप तिवारी तनय श्री रामदास तिवारी
उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम टिकरी तहसील
गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0 ....आवेदक

बनाम्

म0प्र0 शासन ....अनावेदक

कार्यालय कलेक्टर
जिला छतरपुर म0प्र0
प्रस्तुतकर्ता का नाम श्री राजेश रावत एड0 कलेक्टर
शाखा का नाम पवाय/राजस्व
दिनांक
अधीक्षक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा0 संहिता-1959 विरूद्ध आदेश श्रीमान् न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म0प्र0 दिनांक 4.12.2017 जो प्रकरण कमांक 288/स्व.प्रेरणा निगरानी/2004-2005 में मुझ आवेदक के विरूद्ध पारित किया गया हैं से परिवेदित होकर।

महोदय,

सेंवा में श्रीमान् आवेदक निम्नांकित विनय सादर प्रस्तुत करता हैं :-

1. यह कि, भूमि खसरा नंबर 700, 701 रकवा कमशः 0.010 हे0, 0.025 हे0 जिसे आगे इस भूमि को वादभूमि कहा जायेगा स्थित मौजा टिकरी तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0 का नियमानुसार व्यवस्थापन जरिये राजस्व प्रकरण कमांक 5983/बी-121/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 10.6.2002 को मुझ आवेदक के नाम स्वीकृत किया गया था। जिसमें मुझ आवेदक का मकान अर्सा पूर्व से बना हुआ है। जिसके व्यवस्थापन का प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा संलग्न आवेदन पत्र है।

2. यह कि, श्रीमान् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ आवेदक को सुनवाई का बगैर कोई समुचित अवसर दिये सरसरी तौर पर नियम एवं कानून की अवहेलना करते हुये म्यांद बाहर स्वप्रेरणा निगरानी को सुनवाई में लेकर मुझ आवेदक के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 10.6.2002 को निरस्त कर दिया है। जिससे दुःखित होकर अन्य बहुत से कारण होते हुये निगरानीकर्ता निम्नांकित आधारों पर यह निगरानी सादर प्रस्तुत करता है।

निगरानी के आधार

अ. यह कि, जानकारी व नकल मिलने के दिनांक से आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी अंदर अवधि व श्रीमान् जी के द्वारा सुने जाने योग्य है।

पेंज......2 पर

द्वारा अभि0

75

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1579 : रामस्वरूप विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 288/स्व.प्रेरणा निगरानी/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 04-12-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवर्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	

3.1.19

सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
3.1.19